[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 41/2021- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 05 अप्रैल, 2021

सा.का.नि .....(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के साथ पठित धारा 99 ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:-** (1) इन विनियमों को कस्टम्स (वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्प्लायंस) संशोधन विनियमावली, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा.– (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) "आयुक्त, सीमाशुल्क" से अभिप्राय.-

(i) आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के मामले में, उस आयुक्त, सीमाशुल्क से है जिसके अधिकारक्षेत्र में वह कस्टम्स स्टेशन आता हो, जहां ऐसा व्यक्ति अपना आयात या निर्यात का कारोबार करता हो;
(ii) कस्टम्स ब्रोकर के मामले में, उस आयुक्त, सीमाशुल्क से है जिसके अधिकारक्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2018 के अनुसार आता हो।;

(ग) "कारोबार का मुख्य स्थान" से अभिप्राय उस प्राथमिक पते से है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा जारी किए गए आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड में भी निर्दिष्ट हो।

(घ) "यथोचित अधिकारी" से अभिप्राय उस उपायुक्त या सहायक आयुक्त से है जो कि आयुक्त, सीमाशुल्क के अधीनस्थ हो

(2) आयुक्त, सीमाशुल्क के किसी भी संदर्भ में प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क का भी संदर्भ निहित होगा।

(3) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका यहाँ प्रयोग तो हुआ हो, लेकिन उनको परिभाषित न किया गया हो, लेकिन उनको उक्त अभिनियम में परिभाषित किया गया हो, तो उनका वही अभिप्राय होगा जो उक्त अधिनियम में उनके लिए क्रमश: दिया गया हो।

3. प्रयोज्यता.– (1) ये विनियम निम्नलिखित श्रेणी के उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने के बाद से अपने आयात या निर्यात के कारोबार में लगे हों:-

(i) आयातकर्ता;
(ii) निर्यातकर्ता;
(iii) कस्टम्स ब्रोकर;

बशर्ते कि आयुक्त, सीमाशुल्क ऐसे किसी व्यक्ति का भी चयन कर सकता है जो कि इन विनियमों के प्रारम्भ होने के पहले भी आयात या निर्यात के कारोबार में लगा हो या उक्त अधिनियम की धारा 99ख की

उप-धारा (3) के उप-वाक्य (i) के उप उप-वाक्य (क) से (च) में उल्लिखित लाभ को प्राप्त किया हो या उसके लिए दावा किया हो या ऐसे क्रियाकलापो में या ऐसे लाभ को प्राप्त करने में या दावा करने में कस्टम्स ब्रोकर के रूप मे कार्यरत हो और तब ये विनियम ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रीय के प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होंगे।

(3) ऐसे चयनित व्यक्ति को उसके चयन के बारे में कॉमन पोर्टल पर, जिस हद तक ये उपलब्ध हो, और अन्य मामलों में ऐसे माध्यम के द्वारा जिसे आयुक्त, सीमाशुल्क यथोचित समझे, तत्काल सूचित किया जाएगा।

4. पहचान का सत्यापन.- (1) विनियम 3 के अनुसार सत्यपान के लिए चयनित व्यक्ति को ऐसे चयन को सूचित किए जाने के पंद्रह दिन भीतर कॉमन पोर्टल पर निम्नलिखित कागजात या जानकारी प्रस्तुत करनी होगी:-

(i) भौतिक व्यक्ति से भिन्न अन्य प्रकार के व्यक्तियों के मामले में, निगमन संबंधी कागजात, यथा:-

(क) भागीदार फ़र्म के मामले में**,** पार्टनरशिप डीड या करार**;**

(ख) लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप के मामले में**,** रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र और एलएलपी एग्रीमेंट**;**

(ग) कंपनी के मामले में**,** रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र और समझौता-ज्ञापन तथा संगम अनुछेद**;**

(घ) ट्रस्ट/ फ़ाउंडेशन के मामले में**,** पंजीकरण प्रमाण पत्र और समझौता-ज्ञापन तथा संगम अनुछेद**;**

(ड़) अन्य किसी मामले में**,** ऐसा कोई दस्तावेज़ जिससे इसके गठन के बारे में प्रमाणित हो।

(ii) कागजात, जिससे प्राधिकृत हस्ताक्षरी की नियुक्ति प्रमाणित हो, जैसे कि;-

(iii) परमानेंट अकाउंट नंबर;

(iv) जीएसटी आइडेंटीफिकेशन नंबर;

(v) कागजात जिससे ऐसे व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का पता चले जैसे कि बैंक स्टेटमेंट**,** इंकम टैक्स रिटर्न आदि:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को जिसने की इन विनियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात आयात या निर्यात के कारोबार में लगा हो, उक्त कागजात को उसके आयात या निर्यात के कारोबार मे संलग्न होने के अधिकतम तीस दिन के भीतर जमा करना होगा।

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट कागजात या जानकारी के प्रस्तुत किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, भागीदार, एसोसियेशन के प्रबंधन समिति का सदस्य, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, प्राधिकृत प्रतिनिधि, प्राधिकृत हस्ताक्षरी का, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, कॉमन पोर्टल पर -

(i) आधार का अभिप्रमानीकरण; और

(ii) परमानेंट अकाउंट नंबर का सत्यापन

किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि जमा न किए जाने या अन्य किसी कारणो से आधार का अभिप्रमानीकरण नहीं हो पाता है तो जिस व्यक्ति का सत्यापन किया जाना है उस व्यक्ति को अपने वैध पासपोर्ट या इलेक्ट्रोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की नोटरी प्रति को ऐसे चयन की तारीख से या अभिप्रमानीकरण ना हो पाने की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से पांच दिन की बढ़ाई गयी अवधि या ऐसी बढ़ाई गयी अवधि के भीतर जिसे आयुक्त, सीमाशुल्क के द्वारा स्वीकृति दी गयी हो, जमा करेगा।

(3) उक्त उपविनियम (1) और (2) के अंतर्गत कागजात या जानकारी**,** जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत किए जाने पर, यथोचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी,-

(i) ऐसे कागजात के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिकतम पैंतालीस दिन के भीतर कारोबार के मुख्य स्थान के पते का प्रत्यक्ष सत्यापन करेगा**;**
(ii) ऐसे व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का आंकलन करेगा**:**

बशर्ते कि ऐसा यथोचित अधिकारी, अपने कारणो को लिखित रूप मे व्यक्त करते हुए और ऐसे किसी अधिकारी के अनुमोदन से जो कि संयुक्त या अपर आयुक्त, सीमाशुल्क से कम का ना हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन करने के बजाय ऐसे कागजातों का ही सत्यापन कर सकता है जिसे वह उचित समझे:

बशर्ते और भी कि यदि आधार के अभिप्रमानीकरण से भिन्न किसी साधन के द्वारा उसकी पहचान का सत्यापन किया जाता है तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष सत्यापन का परित्याग नहीं किया जा सकेगा।

(4) ऐसी पहचान का सत्यापन उस समय सफल माना जाएगा यदि उक्त उपविनियम (1) और (2) मे यथा विनिर्दिष्ट कागजात के आधार पर ऐसी पहचान साबित हो जाती है।

(5) उक्त पहचान के सत्यापन को उस समय असफल माना जाएगा जब उक्त उपविनियम (1) और (2) मे यथा प्रदत कागजात के आधार पर या उपविनियम (3) के अंतर्गत कराये गए प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर पहचान साबित नहीं हो पाती है।

(6) ऐसे पहचान के सत्यापन के परिणाम को कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम मे डाला जाएगा और इसकी सूचना सत्यापित व्यक्ति को दे दी जाएगी।

5. अनुपालन का सत्यापन.– (1) विनियम 4 के अनुसार ऐसे व्यक्तित्यों की पहचान का सत्यापन हो जाने के बावजूद भी आयुक्त, सीमाशुल्क, राजस्व के हित को सुरक्षित रखने की दृष्टि से या तस्करी को रोकने के उद्देश्य से, इस अधिनियम या अन्य कोई कानून जो तत्समय लागू हो, के प्रावधानों का ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले अनुपालन का सत्यापन कराएगा और इस उद्देश्य के लिए संबन्धित व्यक्ति को कोई भी कागजात या सूचना को कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

6. पहचान ओर अनुपालन के सत्यापन की समयावधि.– (1) कागजात ओर जानकारी के प्रस्तुत किए जाने के तीस दिन के भीतर यथोचित अधिकारी, विनियम 4 ओर 5 के अनुसार सत्यापन कराएगा ओर ऐसी सत्यापन रिपोर्ट को कस्टम्स औटोमटेड सिस्टम पर डलवा देगा:

बशर्ते कि यह सत्यापन रिपोर्ट कागजात ओर जानकारी के प्रस्तुत किए जाने के साठ दिन के भीतर भी तैयार की जा सकती है यदि प्रत्यक्ष सत्यापन का किया जाना जरूरी हो।

बशर्ते ओर भी कि, आयुक्त, सीमा शुल्क, ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये जिसमें कि उक्त यथोचित अधिकारी के लिए सत्यापन रिपोर्ट को तैयार करना संभव न हो, उपर्युक्त अवधि को अगले पंद्रह दिन के लिए और बढ़ा सकता है।

(2) आयुक्त, सीमा शुल्क यथोचित अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत की गयी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ओर ऐसे अन्य साक्ष्यों के आधार पर जिसे वह जरूरी समझे ऐसे सत्यापन के परिणाम को निर्धारित करेगा ओर कस्टम्स आटोमटेड सिस्टम पर इसकी प्रविष्टि कराएगा।

(3) ऐसे सत्यापन के परिणाम की, इसके निर्धारण के सात दिन कि अवधि के भीतर तथा कामन पोर्टल पर, संबन्धित व्यक्ति को जानकारी दे दी जाएगी।

7. लाभ का आस्थगन.– आयुक्त, सीमा शुल्क, ऐसे कारणों के आधार पर जिनको की कस्टम्स औटोमटेड सिस्टम मे दर्ज किया जाना होगा, उक्त अधिनियम की धारा 99ख की उपधारा (3) के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी या सभी

लाभों को आस्थगित करने का आदेश दे सकता हे ओर ऐसे निर्णय की सूचना संबन्धित व्यक्ति को दिला सकता है यदि वह-

(i) विनियम 4 मे अपेक्षित अनुपालन नही कर पाता है; या
(ii) विनियम 4 के अंतर्गत गलत कागजात या सूचना देता है।

(2) जहा उपविनियम (1) के अंतर्गत ऐसे लाभों को आस्थगित कर दिया गया हो, वहा आयुक्त, सीमा शुल्क, ऐसे आस्थगन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे व्यक्ति को जिसका लाभ आस्थगित कर दिया गया हो, सुने जाने का अवसर देगा ओर ऐसे व्यक्ति को दी गयी सुनवाई की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे आस्थगन को वापिस लेने या जारी रखने, जैसी भी स्थिति हो, का आदेश, जैसा वह उचित समझे, जारी करेगा।

8. लाभ की बहाली.– विनियम 7 के अंतर्गत आस्थगित लाभ को बहाल कर दिया जाएगा यदि संबन्धित व्यक्ति विनियम 4 की अपेक्षाओ को पूरा कर देता है या उसके अंतर्गत सही-सही कागजात या जानकारी प्रस्तुत कर देता है।

9. लाभ का मना किया जाना.– यदि धारा 99ख की उपधारा (1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित अभिप्रमाणन नही हो पाता है तो आयुक्त, सीमा शुल्क, उक्त अधिनियम की धारा 99ख की उपधारा 3 के उपवाक्य (ii) के अंतर्गत आदेश को जारी करके यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को उक्त अधिनियम कि धारा 99ख की उपधारा (3) के उपवाक्य (i) के उप-उपवाक्य (क) से (च) मे विनिर्दिष्ट किसी भी मद का लाभ नही मिलेगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी आदेश तब तक जारी नही किया जाएगा जब तक कि उक्त अधिनियम कि धारा 122क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुये ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

10. अपील.- (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो विनियम 7 या 9 के अंतर्गत आयुक्त, सीमा शुल्क, के द्वारा जारी किए गए आदेश से असंतुष्ट हो, उक्त अधिनियम के धारा 12 कि उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ओर सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के यहा उक्त अधिनियम की धारा 129क के अंतर्गत अपील कर सकता है।

11. दंड.- (1) आयुक्त, सीमा शुल्क, ऐसे व्यक्ति पर जो कि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हो या इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न कर पाया हो, अधिकतम पचास हज़ार रूपये तक का दंड लगा सकता है।

[फा. स. 450/104/2019- सीमाशुल्क IV]

आर. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)